दिनांक 26.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 38/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा गणतन्त्र दिवस–2025 के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 26.01.2025 को तिलक मार्ग, स्थित आवास/कैम्प कार्यालय, लखनऊ एवं पुलिस मुख्यालय गोमती नगर विस्तार के प्रांगण में **गणतन्त्र दिवस** के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा शपथ दिलायी गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को शुभकामनायें देते हुए अपने सम्बोधन में कहा गया किः–

प्रिय साथियों,

आज 76वें गणतंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर, सबसे पहले मैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान के निर्माताओं, और उन सभी को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया।

आज सम्पूर्ण देश राष्ट्रप्रेम की भावना से अभिभूत होकर गरिमामयी रूप से पूरे हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व मना रहा है।

इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जवान एवं उनके परिवारीजन को हार्दिक बधाई देता हूं।

हमारा संविधान, जो 75 वर्ष पहले अपनाया गया था, केवल एक दस्तावेज नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। यह एक पवित्र समझौता है जो राज्य और उसके नागरिकों के बीच है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का प्रतीक है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में, यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि हम इन संवैधानिक मूल्यों को अपने हर कार्य में, हर निर्णय में और जनता के साथ हर बातचीत में लागू करें।

पुलिसिंग केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है; यह लोगों की सेवा करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी गरिमा बनाए रखने का कार्य है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और हम, कानून के रक्षक, इस अधिकार के संरक्षक हैं। जब भी हम किसी कमजोर व्यक्ति की रक्षा करते हैं, किसी विवाद का समाधान करते हैं, या किसी अपराध को रोकते हैं, हम संविधान को जीवंत बनाते हैं।

लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह पवित्र कर्तव्य बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। यह हमसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और सहानुभूति की अपेक्षा करता है। हमारा संविधान "हम भारत के लोग" से शुरू होता है, और यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सर्वोच्च निष्ठा उन लोगों के प्रति है जिनकी हम सेवा करते हैं। वे केवल आंकड़े या मामले नहीं हैं—वे अधिकारों, सपनों और आकांक्षाओं वाले व्यक्ति हैं।

हमारे दिन–प्रतिदिन के कार्य में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कभी तनाव, संसाधनों की कमी, और कभी–कभी आलोचना भी। लेकिन ये चुनौतियां हमें कमजोर नहीं करेंगी। बल्कि, इन्हें हमें और अधिक समर्पित और प्रतिबद्ध बनाना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा हर निर्णय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता है, और हर दया का कार्य पुलिस और जनता के बीच के बंधन को मजबूत करता है।

संविधान के रक्षक के रूप में हमारी भूमिका यह भी है कि हम न्याय को बिना किसी भेदभाव के लागू करें। संविधान कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, और यह हमारे कार्यों में परिलक्षित होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे गौरवशाली पुलिस बल का प्रमुख होना मेरे जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा हो, आपदा प्रबंधन में सहयोग हो, आतंकवाद का मुकाबला हो, या साइबर अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों का सामना हो। अपनी अटूट निष्ठा, साहस और जनसेवा के माध्यम से, उत्तर प्रदेश पुलिस दृढ़ता का प्रतीक बनकर उभरी है, जिसने करोड़ों लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित करते हुए एक सुरक्षित और प्रगतिशील समाज की मजबूत नींव रखी है।

विराट मानवता के महोत्सव महाकुंभ 2025 में व्याप्त सुरक्षा और प्रबंधन की कुशलता किसी चमत्कार से कम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के ओजस्वी नेतृत्व में यह अविस्मरणीय उपलब्धि उत्तर प्रदेश पुलिस की असाधारण कार्यक्षमता और अटूट प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

गणतन्त्र दिवस–2025 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के **33** कार्मिकों को वीरता पदक, **05** को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक व **78** को सराहनीय सेवा के लिये पदक प्रदान कर गौरवान्वित किया है। सभी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश पुलिस को सबसे ज्यादा वीरता पदक, राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय सेवा के लिये पदक प्रदान किये गये हैं। इस अवसर पर **46** पुलिस कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, **201** पुलिस कार्मिकों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह,

473 पुलिस कार्मिकों को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा 10 पुलिस कर्मियों को मा0 मुख्यमंत्री का वीरता पदक एवं 06 पुलिस कर्मियों को मा0 मुख्यमंत्री का प्रशस्ति–पत्र स्वीकृत किया गया। आप सभी पुलिस कार्मिकों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई।

इस गणतंत्र दिवस पर, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि संविधान के मूल्यों को अपने जीवन और कार्य में उतारने का संकल्प लें। आइए, हम खतरों के सामने साहसी बनें, दुख के सामने करुणामय बनें, और न्याय की खोज में अडिग रहें। हम संविधान को अपना मार्गदर्शक बनाकर आगे बढ़ें। साथ मिलकर, हम ऐसा समाज बनाएं जहां न्याय प्रबल हो, स्वतंत्रता फले–फूले, और हर नागरिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस करे।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा गणतन्त्र दिवस के अवसर पर मुख्यालय में नियुक्त निम्न पुलिस कर्मियों को पदक से अलंकृत किया गया :–

‘उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह’

1. श्री रूप कृष्ण त्रिपाठी, निरीक्षक ना0पु0, अपराध शाखा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

‘सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह’

1. श्री राम बिलास, मुख्य आरक्षी चालक, परिवहन शाखा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. श्री आशीष कुमार, मुख्य आरक्षी, कानून व्यवस्था शाखा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

‘पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (प्लेटिनम)’

1. श्री सतीश चन्द्र सचान, प्रतिसार निरीक्षक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

‘पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (गोल्ड)’

1. श्री मोहित कुमार, सहायक उ0नि0(लिपिक), कानून व्यवस्था शाखा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

‘पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर)’

1. श्री गंगाराम, निरीक्षक (लिपिक), कार्मिक शाखा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. श्री मनोज कुमार गौड़, आरक्षी चालक, परिवहन शाखा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

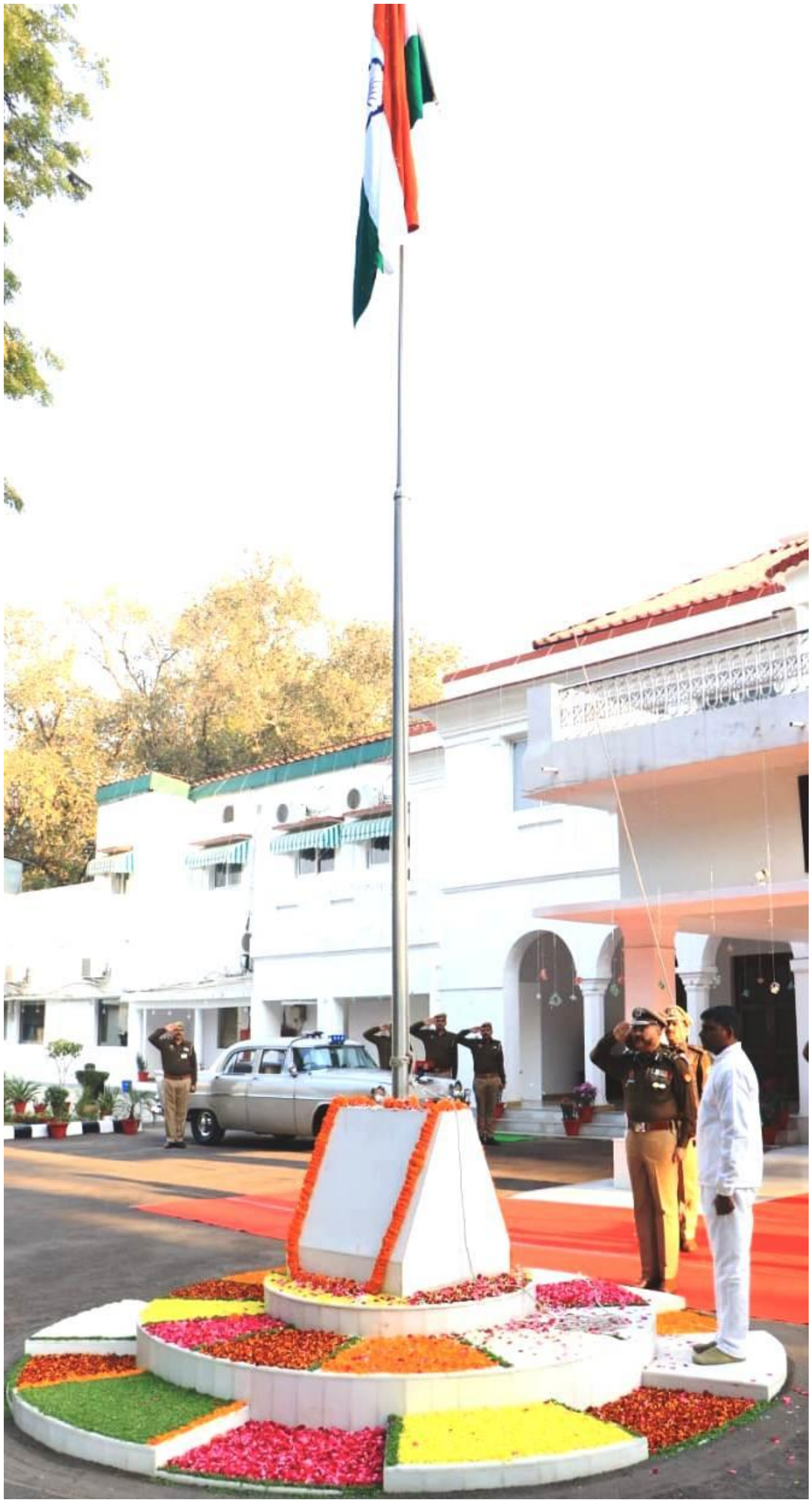

पुलिस मुख्यालय
गणतंत्र दिवस 2025

पुलिस मुख्यालय
गणतंत्र दिवस 2025

दिनांक 26.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 39/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद जौनपुर/थाना सरपतहां

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.01.2025 को थाना सरपतहां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सलरापुर रवनिया चौराहा करौंदीकला के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अभिषेक उर्फ धौवक्कल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सरपतहां पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सरपतहां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक उर्फ धौवक्कल निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर।

जनपद रामपुर/थाना शाहबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 25.01.2025 को थाना शाहबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त सैफी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना शाहबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सैफी निवासी मोहल्ला शाहगंज थाना शाहगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के मोबाइल टावर के उपकरण (04 आरआर, 02 आरआर यू, 04 मॉडयूल, 02 रेक्टीफायर)**
- **05 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **02 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 26.01.2025 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सफेदा रोड ओवर ब्रिज के पास से 04 अभियुक्तों 1–दुष्यन्त 2–रवि 3–केशव 4–अंकित को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के मोबाइल टावर के उपकरण (04 आरआर, 02 आरआर यू, 04 मॉडयूल, 02 रेक्टीफायर), 05 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना खतौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा मोबाइल टॉवर से चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल टावर उपकरण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दुष्यन्त निवासी सकौती बाईपास थाना दौराला जनपद मेरठ।

2–रवि निवासी ग्राम चांदसमद थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

3–केशव निवासी समाया थाना बितरवार जनपद ग्वालियर मध्यप्रदेश।

4–अंकित निवासी फरीदपुर थाना सरधना जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के मोबाइल टावर के उपकरण (04 आरआर, 02 आरआर यू, 04 मॉडयूल, 02 रेक्टीफायर)।

2—05 मोबाइल फोन।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—02 दो पहिया वाहन आदि।

<u>एस0टी0एफ0—अन्तर्राज्यीय स्तर पर प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए की तस्करी करने वाले गिरोह का 02 अभियुक्त गिरफ्तार, उसके कब्जे से 390 जिन्दा कछुए बरामद</u>

दि0—26—01—2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को मैनपुरी में प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए की तस्तरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 390 जिन्दा कछुए बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1. उत्तम दास पुत्र स्व0 दीपक दास निवासी ट्रांजिट कैंप, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।
2. सलीम पुत्र जमील अहमद निवासी दूधिया नगर खेड़ा, बार्ड नं0 5 उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।

बरामदगीः—

1— 390 प्रतिबन्धित प्रजाति के जिंदा कछुये।

2— 01 अदद आधार कार्ड ।

3— 01 अदद उत्कर्ष बैंक का एटीएम कार्ड।

4— 01 अदद एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड

5— एक अदद टाटा सफारी यूपी 16 एडी 7500।

6— 01 अदद मोबाइल।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–</u>

दिनांक 26.01.2025 समय करीब 04:20AM बजे, जैन इण्टर कॉलेज, करहल, मैनपुरी।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्जीय तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, एस0टी0एफ फील्ड इकाई, कानपुर द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं को मैनपुरी के विभन्न स्थानों से इक्ठठा करके टाटा सफारी गाड़ी से एटा, बरेली होते हुये उत्तराखण्ड ले जा रहे हैं। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए उ0नि0 विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताई गयी सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी रेंज मैनपुरी से समन्वय स्थापित कर मुखबिर की निशादेही पर दि0–26–01–2025 को समय लगभग सुबह 04:20 बजे जैन इण्टर कॉलेज, करहल, मैनपुरी से एक टाटा सफारी यूपी 16 एडी 7500 से दो व्यक्तियों को मय टाटा सफारी के गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 11 बोरो में 390 जिन्दा प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए बरामद हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने सामूहिक रूप से पूछताछ में बताया कि हम लोग काफी समय से पूर्व से कछुओं की तस्करी कर रहे है। अशोक कुमार जो मैनपुरी के रहने वाले है उन्ही से कछुओ को लेकर शक्ती फार्म, सितारगंज, उत्तराखण्ड जा रहा था, कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया है। गिर0 अभियुक्त उत्तम ने बताया कि विवेक सितारगंज उत्तराखण्ड से कछुओं की तस्करी करने के लिय 80000.00 रूपये में बात तय हुयी थी। विवेक उपरोक्त ने बताया था, तस्करी किये जाने वाले प्रतिबंधित कछुओं का मीट खाने में एवं शक्ति वर्धक दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। उत्तम वर्ष 2024 में कछुओ की तस्करी करने में जेल जा चुका है।

अशोक कुमार की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा–2, (16ख) 9, 39, 48, 498, 50, 51, 57 व भा0 वन अधि0 की धारा 52क, के अन्र्तगत क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनपुरी रेंज वन प्रभाग, मैनपुरी के सुपुर्द किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनपुरी रेंज वन प्रभाग, द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एस0टी0एफ0–सीबीआई/नारकोटिक्स/क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार।

दिनांकः 25–01–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को सीबीआई/ नारकोटिक्स/ क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने वाले संगठित गिरोह के एक सदस्य को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– सुरेश कुमार सैन पुत्र रामदयाल सैन निवासी ग्राम रामनगर, थाना बानसुर, तहसील बानसुर ,जिला कोटपुतली अलवर, राजस्थान, उम्र लगभग 43 वर्ष।

बरामदगी–

1– 02 अदद मोबाइल फोन।

2– 01 अदद पासपोर्ट।

3– 02 अदद कम्बोडिया के इम्प्लाइमेंट कार्ड।

4– 01 अदद एबीए बैंक कम्बोडिया का एटीएम कार्ड।

5– 01 अदद फ्लाइट टिकट फोनम कम्बोडिया से नई दिल्ली भारत।

6– 01 अदद पेमेंट रशीद एक माह के लिए कम्बोडिया में गेस्टहाउस बुकिंग से सम्बन्धित।

7– 01 अदद कम्बोडिया का सिम कार्ड ।

8– 03 अदद कम्बोडिया के सिम कार्ड होल्डर।

9– 12 अदद पेज WhatsApp के स्क्रीनशाट।

10– 160 अमेरिकन डालर भारतीय कीमत लगभग रू13280/नकद।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–</u> स्थानः इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। दिनांकः 25–01–2025 समय लगभगः 23:10 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से सीबीआई/नारकोटिक्स/क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि डा अशोक सोलंकी निवासी लखनऊ ने थाना साइबर क्राइम, लखनऊ में मुकदमा पंजीकृत कराया कि उनको सीबीआई/नारकोटिक्स/ क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर दो दिन तक जांच के नाम पर Digital Arrest कर 48.00 लाख रूपये की ठगी की गयी।

उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर विष्लेषण एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए, दिनांक 14–11–2024 को एसटीएफ टीम द्वारा गुरूग्राम हरियाणा से 05 अभियुक्तों, दिनांक 16–11–2024 को लखनऊ से 02 अभियुक्तों, दिनांक 03–12–2024 को लखनऊ से 03 अभियुक्तों व दिनांक 26–12–2024 को लखनऊ से 01 अभियुक्त (कुल–11 अभियुक्तों) को गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में इस गिरोह के मुख्य सदस्य सुरेश कुमार सैन (जो गिरफ्तारी से बचने के लिए कम्बोडिया फरार हो गया था) को कल दिनांक 25–01–2025 को कम्बोडिया से भारत आने की सूचना प्राप्त होने पर इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त सुरेश कुमार सैन ने पूछताछ में बताया कि मैं अप्रैल 2023 में दिल्ली से कोलकाता, बैंकॉक, होते हुए सीएमरीप एयरपोर्ट कंबोडिया गया था। मुझे एजेंट रफीक भाटी झूझनू, राजस्थान के जानने वाले एजेंट नितिन निवासी मुंबई के माध्यम से कंबोडिया में एक बांग्लादेशी नागरिक मिला था। जो मुझे एक होटल में लेकर गया। मै

उस होटल में 05 दिन तक रुका। इसके बाद वह बांग्लादेशी नागरिक, यासीन चौधरी निवासी पाकिस्तान के माध्यम से मुझे फ्नोमपेन्ह शहर और उसके आस–पास के कथित चाइनीज लोग द्वारा संचालित साइबर ठगी करने वाली 05 कम्पनियों/कॉल सेंटरों पर लेकर गया था। मेरे साथ नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देषों के लोग भी गये थे। इन कम्पनियों/काल सेंटरों मे पहले हम लोगों का इंटरव्यू हुआ। इन कम्पनियों/काल सेंटरों में हम लोगों को सीबीआई/नारकोटिक्स/ क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने, आनलाइन ट्रेडिंग, शेयर आदि में इनवेस्ट करने पर कम समय में धन दोगुना करने के प्रलोभन भरे आफर देकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व नेपाल आदि देशों में साइबर ठगी करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इन काल सेंटरों में मेरा कई चरणों में इण्टरब्यू लिया गया एवं कई दिन तक मुझे ट्रेनिंग दी गयी थी। यहां पर मैंने लगभग 10 महीने तक साइबर ठगी का काम किया। मैं साइबर ठगी करने वाले इन कम्पनियों/काल सेंटरों में कालिंग की जाब के लिए कमीषन लेकर भारत से कालर को बुलाने का भी काम करने लगा। मैं, अपने पर्सनल कांटेक्ट व नितिन के माध्यम से लोगों को कम्बोडिया बुलाने लगा। मेरे व यासीन के माध्यम से किसी का सेलेक्शन इन ठगी की कम्पनियों/कॉल सेंटरों में होने पर 1000 डालर का कमीशन मिलता था, जिसे मैं व यासीन चौधरी आपस में बांट लेते थे। यहां पर मैं कालरों को कम्पनियों/कॉल सेंटरों में ले जाता था, उनका सेलेक्शन कराता था। कथित चीनी कम्पनियों/कॉल सेंटर में इंटरव्यू लेने वाले लोग भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के होते थे। साइबर ठगी की इन कम्पनियों/काल सेंटरों पर मैंने लगभाग 30 कालरों को खुद से व यासीन चौधरी के माध्यम से लगभग 75 कालरों को सेलेक्ट कराया था। यह कम्पनियां/काल सेन्टर पोडपेड–कम्बोडिया में है। इसके बाद मैनें मार्च 2024 में यासीन चौधरी से अलग होकर अपना खुद का रेस्टोरेंट फ्नोमपेन्ह (कम्बोडिया) में खोल लिया था। पर दो माह बाद इसको बंद कर कैंपोट शहर (कम्बोडिया) में मनोरथ नाम से दूसरा रेस्टोरेन्ट खोला इसी रेस्टोरेन्ट के पते पर मैं साइबर ठगी के लिए कालरों को वीजा दिलाकर बुलाता हूँ। मै भारत से कम्बोडिया भेजने के लिए लोगों से 01 लाख 50 हजार रू0 लेता हूं, व इसके बाद कंबोडिया में कथित चाइनीज कम्पनियों/कॉल

सेंटरों में सेलक्शन कराकर कम्पनी/ कॉल सेंटर वालों से बतौर कमीशन–1000 डालर लेता हूं। मै कुछ कालरों को भारत से कम्बोडिया ले जाने के लिए कम्बोडिया से भारत आया था।

अभियुक्त द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जोयेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 142/2024 धारा 319(2), 318(2), 338, 336(2), 340, 61(2)(ए) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम लखनऊ में दाखिल कर आवष्यक कार्यवाही की जा रही है।

———————